2012/00059

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	7/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० शेष पैरोकार अनुपस्थित। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस मूल ti हेतु दिनांक 28/5/25 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर	
	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 5 में ग्राम कायमपुरा की आराजीयात में प्रार्थीया रिकॉर्ड खातेदार है तथा भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें अप्रार्थी 1 से 15 भी खातेदार हैं, जिनके द्वारा आये दिन प्रार्थीया के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि दखल कर रहे हैं भूमि बेचान करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थीया को बेदखल करना चाहते हैं जिससे अप्रार्थीगण को गरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का श्रम करावें।	
	हमने वकील प्रार्थी व प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों अवलोकन	
	उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं कोई उज्र नहीं उठाया है। प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार ग्राम कायम पुर के वर्तमान खाता सं. 230 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवाने हेतु वाद पेश किया है। जो विचाराधीन है।	
	P.T.O	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से बंटवारा होने तक मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है अथवा कृषि भूमि स्वरूप में परिवर्तन होता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होने की सम्भावना है। जिससे प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अत; प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कायम पुरा के खाता सं. 230 में वर्णित खसरान की भूमि के मौके की स्थिति बनाये रखे। यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।	

(सहायक कलक्टर(ग्रा.) अजमेर